न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 38/2017

1. धुवेन्द्र पुत्र मानवेन्द्र सिंह
2. ऋषिराज पुत्र शिवराज सिंह
3. किशन सिंह पुत्र मदन सिंह
4. शिवराज सिंह पुत्र राव अमर सिंह

समस्त जाति राजपुत निवासी ग्राम भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांटस

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 01.09.1998 द्वारा तहसीलदार नोहर

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
राज पेरोकार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः— 17.03.2020

अपीलाण्ट ने तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 01.09.1998 के विरूद्ध अपील पेश की है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

(अ) तहसील नोहर के ग्राम भूकरका में साबिक खसरा नम्बर 522 मिन रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोस्त सम्वत 2001 में "जोहड़ रिफाय आम" दर्ज था जो तत्पश्चात खसरा नम्बर 741 रकबा 8 बिघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मे पैमूद हुआ एवं उक्त खसरा नम्बर 741 तत्समय की जमाबन्दी क्रमशः सम्वत 2008 ता 2011 एवं सम्वत 2012 ता 2015 के कृषक के कॉलम संख्या 5 में "जोहड़ रिफाय आम" (सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जल स्त्रोत जोडा) दर्ज होकर मौके पर उक्त भूमि बतौर जोहड़ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 741 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा दौराने बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 66 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official

चकबन्दी चक 3 बी.के.के. के पत्थर नम्बर 301/426 मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बरान क्रमशः 8 ता 13 व 19 ता 2 कुल किता 8 रकबा 2.0240 हैक्टर भूमि (उक्त भूमि को प्रश्नगत अपील में विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित व अंकित किया जायेगा) में परिवर्तित व पैमूद हुआ।

(ब) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.20(77)राज/उप/83 दिनांक 07.01.1991 की अनुमति से विद्वान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ–12(3)(75)/राजस्व/88/2152 दिनांक 14.02.1991 से ग्राम भूकरका के राजकीय (कन्या) उच्च प्राथमिक स्कूल हेतू चक 3 बी.के.के. में खसरा नम्बर 77 की 8 बीघा भूमि (जोहड़ पायतन) निशुल्क आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए नियमानुसार भू अभिलेख में उक्त आवंटन आदेश का अमल दरामद करने के आदेश अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों को प्रदान किये।

(स) उक्त आवंटन आदेश दिनांक 14.02.1991 की अनुपालना में विद्वान तहसीलदार नोहर ने आवंटन आदेश का इन्तकाल संख्या 97 राजकीय (कन्या) उच्च प्राथमिक विधालय के नाम दर्ज कर दिया गया, जो तत्पश्चात खसरा नम्बर गलत आवंटन के कारण खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरकण संख्या 97 खारीज होने के पश्चात प्रशासक ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "आवंटन आदेश में सहवन से खसरा नम्बर 66 को हिन्दी शब्दों मे खसरा नम्बर 77 मान लिया गया है, इसलिए खसरा नम्बर 66 को स्कूल के नाम दर्ज किया जावे क्योंकि खसरा नम्बर 77 जोहड़ पायतन नही है।" उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने संबंधित पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब की। संबंधित पटवारी हल्का भूकरका बी द्वारा अपनी विस्तृत जॉच रिपोर्ट दिनांक 20.02.1993 निर्मित कर उक्त जांच रिपोर्ट के अनुतोष खण्ड में तहसीलदार नोहर से निवेदन किया कि " चक 3 बी.के.के. के खसरा नम्बर 77 के स्थान पर खसरा नम्बर 66 की 8 बीघा भूमि जोहड पायतन का आवंटन कर राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भूकरका के हक में इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें।" तहसीलदार नोहर के समक्ष उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.02.1993 प्रस्तुत होने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/94/404 दिनांक 25.02.1994 से श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को निवेदन किया कि–

"आपके प्रासांगिक आदेशानुसार चक 3 बी.के.के के खसरा नम्बर 77 की 8 बीघा भूमि जोहड़ पायतन रा0क0उ0प्रा0 विधालय भूकरका को आवंटन की गयी थी जबकि इस चक मे खसरा नम्बर 77 नही है। चक 3 बी.के.के. के खसरा नम्बर 66 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 बीघा भूमि जोहड पायतन की है इसलिए खसरा नम्बर 77 के बजाय खसरा नम्बर 66 होना चाहिये था जो सहवन से 77 हो गया है। आदेश की चित्रप्रति के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का व नकल इन्तकाल, जमाबन्दी और प्रशासक ग्राम पंचायत भुकरका का प्रार्थना पत्र संलग्न कर वास्ते दुरस्ती रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।"

(द) तत्समय हनुमानगढ नया जिला बन जाने एवं ग्राम भूकरका हनुमानगढ जिले मे आ जाने के कारण उक्त पत्र दिनांक 25.02.1994 मूल आवंटन पत्रावली के साथ विद्वान जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिस पर उन्होने अपने आदेश कमांक प.12(3)(388)राज/94 दिनांक 17.07.1998 से तहसीलदार नोहर को निम्न आदेश प्रदान किये–

"उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में इस कार्यालय के उक्त प्रासंगिक आदेश द्वारा ग्राम भूकरका के राजकीय (कन्या) उच्च प्राथमिक पाठशाला हेतु चक 3 बी.के.के. में खसरा नम्बर 77 की 8 बीघा भूमि (जोहड़ पायतन) निशुल्क आवंटन की गई थी। तत्पश्चात आपने अपने पत्र कमांक भू.अ./94/404 दिनांक 25.02.1994 द्वारा अवगत करवाया की स्कुल को भूमि आवंटन का खसरा नम्बर 77 नही है 66 है इसलिए 77 की बजाय 66 दुरस्त किया जावे।

अतः आप खसरा नम्बर 77 की स्थिति से अवगत करावे कि खसरा नम्बर 77 की भूमि कितनी है और वर्तमान स्थिति क्या है (जमाबन्दी की नकल भी संलग्न करे) पूर्ण स्थिति स्पष्ट करे ताकि शासन को पुनः प्रत्युतर प्रस्तुत किया जा सके।"

(य) तहसीलदार नोहर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 17.07.1998 की कोई अनुपालना न करते हुए स्वयं के स्तर पर ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 139 दिनांक 01.09.1998 एक ही दिन में बगैर आवंटन आदेश के खसरा संख्या 66 की बाबत स्कूल के नाम दर्ज कर दिया जिससे अपीलांट निम्न आधारों पर अपील पेश कर रहा है–

1. तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 139 दिनांक 01.09.1998 विरूद्ध न्याय नियम व रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है।
2. तहसीलदार नोहर ने इस बिन्दु की और कतई ध्यान नही दिया कि प्रश्नगत प्रकरण मे खसरा नम्बर 66 रकबा 9 बीघा का आवंटन विद्वान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर अथवा हनुमानगढ द्वारा नहीं किया गया है एवं न ही उक्त खसरे के बाबत ऐसा कोई आवंटन आदेश मूल आवंटन पत्रावली में कही मौजूद है इसलिए बगैर आवंटन आदेश के आक्षेपित नामा0 संख्या 139 तस्दीक किया गया है जो स्पष्टत एक आधारहीन एवं बगैर आवंटन आदेश के तस्दीक होने से प्रश्नगत अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. तहसीलदार नोहर ने नामा0 139 के कॉलम संख्या 14 में नामा0 तस्दीक करने का मुख्य एवं एकमात्र आधार विद्वान जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 17.07.1998 को अंकित किया है जबकि विद्वान जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 17.07.1998 के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 66 का कोई आवंटन नही किया गया है बल्कि तहसीलदार नोहर से खसरा नम्बर 77 के रकबे व वर्तमान स्थिति के बाबत विस्तुत स्पष्ट रिपोर्ट चाही है ताकि पत्रावली खसरा नम्बर 66 के आवंटन हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सके किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार नोहर द्वारा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 17.07.1998 की अनुपालना न करते हुए उन्हें खसरा नम्बर 77 के बाबत विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित न कर स्वयं के स्तर पर ही किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर बिना आवंटन आदेश के ही खसरा नम्बर 66 के बाबत विद्वान जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 17.07.1998 को आधार मानते हुए नामा0 संख्या 139 तस्दीक कर गम्भीर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रूटि कारित की है। विधि द्वारा सुस्थापित स्थिति है कि जिस खसरे का सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा आवंटन ही नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी बगैर आवंटन आदेश के नामा0 तस्दीक करने में पूर्णतया अक्षम है, इसलिए नामा0 सख्या 139 पूर्णत्या आधारहीन होने से निरस्त फरमायें जाने योग्य है।

4. विवादित आराजी खसरा नम्बर 66 समस्त राजस्व अभिलेख में नामा0 संख्या 139 तस्दीक करने से पहले जोहड़ पायतन किस्म गैर मुमकिन दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर 66 के साबिक खसरा संख्या 741 एवं उससे साबिक खसरा संख्या 522 मिन है जो जमाबन्दी सम्वत 2001 एवं सम्वत 2008 ता 2011 तथा सम्वत 2012 ता 2015 में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजी जोहड़ रिफाय आम किस्म गैर मुमकिन दर्ज है एवं जलस्त्रोत की आराजी का नियमानुसार किसी प्राकृतिक व्यक्ति अथवा विधिक व्यक्ति के नाम दर्ज नही कि जा सकती है इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत भी पेश किये है।

उक्त न्यायिक दृष्टांतो के अतिरिक्त माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय तथा माननीय मण्डल द्वारा समय–समय पर अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जल स्त्रोतो की भूमियों के दीगर व्यक्तियों/संस्थाओं के आवंटन तथा उनके नाम की राजस्व प्रविष्टियॉ निरस्त कर ऐसी भूमियों को पुनः जल स्त्रोतो के तौर पर दर्ज किया है। प्रश्नगत प्रकरण में यह भी निर्विवादित तथ्यात्मक स्थिति है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज रोज तक राजकीय (कन्या) उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा विवादित अराजी के मौके पर न तो कब्जा प्राप्त किया गया है एवं न ही मौके पर विधालय के भवन अथवा खेल मैदान निर्मित है बल्कि विवादित आराजी आज भी मौके पर बतौर जोहड स्थित है जो जोहड़ पायतन के काम आती है तथा वर्षा के दिनों में उक्त जोहड़ में पानी एकत्रित होता है जो लम्बे समय तक संग्रहित रहता है जिसका उपयोग ग्राम के पशु एवं पक्षी पानी पीने में लेते है एवं उक्त तालाब के आसपास की भूमियॉ भी तालाब की वजह से नम रहती है जिससे खेती को फायदा होता है। तहसीलदार नोहर द्वारा एक पत्र कमांक/भू0अ0/16 दिनांक निल से यह एडमिट किया है कि उपरोक्त भूमि मौके पर खाली है तथा स्कूल आदि इस पर कोई निर्मित नहीं है। राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग जयपुर द्वारा जारी आदेश कमांक प.14(4) शिक्षा–1/हनुमानगढ/2014 पार्ट दिनांक 22.06.2016 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विधालय भूकरका को पृथक से परिसर/मैदान की आवश्यकता नही है क्योंकि उक्त विधालय का समन्वयन/एकीकरण/मर्ज राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भूकरका में हो चुका है जिसमें बालिकाए एवं बालक एक साथ पढते है एवं उक्त विधालय का खेल मैदान काफी बड़ा मैदान है जिसमें खेल स्टेडियम भी बना हुआ है ग्राम भूकरका को पृथक से कोई स्कूल एवं मैदान की आवश्यकता नही है। अतः अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 की उपधाराए कमशः (ii), (vi), (xiv) से पूर्णतया स्पष्ट है कि गैर मुमकिन जल स्त्रोत की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजी उक्त प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं कि जा सकती है। उक्त आराजी को पुन जल स्त्रोत हेतु दर्ज करवाने के लिए अपीलान्ट एवं कुछ अन्य ग्रामवासियान/व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे एक जनहित याचिका डी0बी0 सिविल रिट पीटीशन नम्बर 12387/2016 बअनावनी "ऋषिराज बनाम स्टेट" प्रस्तुत की थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा उक्त रिट में संयोजित पीटीशन नम्बर 4 व 5 के ग्राम भूकरका के निवासी न होने के कारण मे आदेश दिनांक 14.02.2017 को निरस्त फरमातें हुए पीटीशनर को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि वे सक्षम संस्थान मे उपचार प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकते है। आदेश दिनांक 14.02.2017 की अनुपालना में प्रश्नगत अपील उपचार प्राप्त करने हेतु अविधिक नामा0 के विरूद्ध विधिक सलाह के पश्चात आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत की गयी है जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना अत्यन्त न्यायोचित है तथा प्रश्नगत अपील में समस्त पक्षकार गांव भूकरका के निवासी है जिनका हित निजी अथवा व्यक्तिगत हित न होकर विवादित आराजी को जोहड़ दर्ज करवाने से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक हित है इसलिए नामान्तरण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. माननीय उच्च न्यायालय मे भी रिट याचिका संख्या 12384/2016 में विवादित आराजी के मौके के फोटोग्राफ बतौर एनेक्सचुर–5 एवं लीगल नोटिस एनेक्सचर–6

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

प्रस्तुत किया गया था जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी आज भी मौके पर जोहड के तौर पर जल संग्रहण के काम मे आती है। तहसीलदार महोदय लीगल नोटिस के बाद भी विवादित अराजी की राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति बहाल नहीं कर रहे है इसलिए आपेक्षित नामा0 अपास्त किया जाकर पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल किया जाना न्यायोचित है।

7. अपील जानकारी से अन्दर मियाद है क्योंकि अपीलान्टस को इस बिन्दु की कतई जानकारी नही थी। वर्तमान अपीलान्टस आक्षेपित नामान्तरकण को धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ चुनौती दिये जाने की पात्रता रखते है। विवादित आराजी का आवंटन हुआ ही नही है बल्कि रेस्पो. ने सीधे ही स्कूल के नाम दर्ज कर दी है उक्त विधिक प्रास्थिति के आधार पर भी तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक नामा0 139 वॉईड एब इनशिनियों निर्णय है जिसको चुनौती दिये जाने के लिए किसी भी प्रकार की परिसीमा विधि आडे नही आती है अतः प्रकरण को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्टस ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 01.09. 1998 की अपील है मैरिट पर तय करें। खसरा नम्बर 77 आवंटित होना चाहिए था किन्तु खसरा नम्बर 66 आवंटित कर दिया। हम तो गांव के हित के लिए आये है यह खसरा नम्बर 66 जोहड़ पायतन की भूमि है अतः यह आवंटन योग्य नहीं है। गांव के पशुओं के पानी पीने के लिए आरक्षित है। अपील स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि अपील चलने योग्य नहीं है। चक 3 बी.के.के. में राजकीय बालिका माध्यमिक विधालय भूकरका में भूमि आवंटित हुई थी। जिला कलक्टर महोदय के आदेश मे खसरा नम्बर 66 लिख कर आवंटित की गई भूमि है। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में 66 को हिन्दी अंकमाला के अनुसार 77 मानकर नामान्तरकरण दर्ज किया जो सहवन से त्रूटिपूर्ण हो गया। जबकि उस गांव में खसरा नम्बर 77 था ही नही। तहसीलदार ने जिला कलक्टर महोदय के आदेश के आधार पर संशोधन कर दिया उस संशोधन वाले नामान्तरकण की यह अपील पेश की गई है, इनको कोई अधिकार नही है। स्कूल के नाम आवंटित भूमि से इनको क्या लेना देना अपील का कोई अधिकार ही नहीं है। स्कूल को पक्षकार ही नही बनाया गया, यदि इनको कोई आपति थी तो जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के आदेश को चुनौती देते उसकी अपील करते, म्यूटेशन की अपील करने का कोई अधिकार है ही नही अतः अपील खारीज फरमावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश कमांक एफ12(3)(75)राजस्व/88 /2152 दिनांक 14.02.1991 द्वारा ग्राम पंचायत भूकरका के ग्राम भूकरका के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक स्कूल हेतु चक 3 बी.के.के में खसरा नम्बर 77 की 8 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित की गई जबकि नामान्तरकरण संख्या 139 खसरा संख्या 66 का भरा गया है। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर के पत्रांक 404 दिनांक 25.02.94 की फोटोप्रति में जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को खसरा नम्बर 77 के स्थान पर खसरा नम्बर 66 आवंटन करने के संबंध में वास्ते दुरूस्ती प्रार्थना की गई है जिसके प्रसंग में जिला कलक्टर हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 2588 दिनांक 17.07.98 द्वारा तहसीलदार नोहर से खसरा नम्बर 77 की स्थिति से अवगत करवाने और पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देश दिये गयें किन्तु नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 01.09.98 के कॉलम संख्या 14 में जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र का हवाला देते हुए खसरा नम्बर 77 के स्थान पर खसरा नम्बर 66 राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक पाठशाला के नाम दर्ज कर स्वीकृत कर दिया गया जबकि जिला कलक्टर हनुमानगढ के द्वारा उक्त आंवटन आदेश में कोई संशोधन नही किया गया था ना ही खसरा नम्बर 77 के स्थान पर खसरा नम्बर 66 दर्ज करने का कोई अन्य आदेश ही दिया गया था इसके उपरान्त भी बिना किसी विधिक एवं सक्षम आदेश के नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 01.09.98 खसरा नम्बर 66 के संबंध में स्वीकृत करना विधि विरूद्ध है जो काबिल खारीज होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

17/03/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर, हनुमानगढ

Web Copy - Not Official